छत्तीसगढ़ विधानसभा
पत्रक भाग-एक
संक्षिप्त कार्य विवरण
मंगलवार, दिनांक 7 दिसम्बर, 2010
(अग्रहायण-16, शक संवत् 1932)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 24 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 (कुल 01) प्रश्न पर अनुपूरक प्रश्न पूछा गया।

प्रश्नोत्तर सूची में 20 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

प्रश्नकाल प्रारंभ होते ही श्री नंदकुमार पटेल, धर्मजीत सिंह, सदस्य एवं नेता प्रतिपक्ष श्री रविन्द्र चौबे द्वारा प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था संबंधी उल्लेख किया गया।

प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा व्यवधान के मध्य माननीय अध्यक्ष ने प्रतिपक्ष के सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने तथा प्रश्नकाल के पश्चात स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से इस पर विचार करने का उल्लेख किया परंतु प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा निरंतर नारेबाजी की गई एवं शासन विरोधी पर्चे लहराए गए। माननीय अध्यक्ष द्वारा प्रतिपक्ष के सदस्यों से सदन की मर्यादा बनाए रखने तथा सदन में पोस्टर दिखाना बंद किए जाने का अनुरोध किया गया।

प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा निरंतर नारेबाजी के कारण सदन की कार्यवाही 11.10 बजे स्थगित की जाकर 11.30 बजे पुनः प्रारंभ हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

2. प्रश्नोत्तर (क्रमशः)

कार्यवाही प्रारंभ होते ही पुनः श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य ने प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था का मामला उठाया। प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा पुनः पोस्टर दिखाए जाने तथा व्यवधान पर माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन की मर्यादा और परम्परा का उल्लेख करते हुए प्रश्नकाल के पश्चात् इस विषय पर विचार किए जाने के साथ प्रतिपक्ष के सदस्यों से कार्यवाही चलाने के सहयोग का अनुरोध किया गया। संसदीय कार्य मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि शासन जवाब देने के लिए तैयार है।

प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा निरंतर नारेबाजी की गई। माननीय अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही चलने देने में सहयोग का आग्रह किया एवं प्रतिपक्ष की ओर से प्राप्त स्थगन प्रस्ताव की सूचना विचाराधीन होने की जानकारी दी।

प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा निरंतर नारेबाजी के कारण माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन की कार्यवाही 11.38 बजे से 12.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई। 12.02 बजे कार्यवाही सदन की कार्यवाही पुनः प्रारंभ हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

सदन की कार्यवाही प्रारंभ होते ही डॉ.शक्राजीत नायक, श्री कुलदीप सिंह जुनेजा, मोहम्मद अकबर, सदस्य द्वारा प्रदेश में हो रहे अपहरण एवं हत्यायें, डकैती तथा नक्सली समस्या की ओर आसंदी का ध्यान आकर्षित कर मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री से इस्तीफे की मांग के नारे लगाये।

माननीय अध्यक्ष ने स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त होने की सूचना देते हुए स्थगन प्रस्ताव देने वाले सदस्यों के नाम पुकारने का उल्लेख किया। प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा निरंतर नारेबाजी की गई और पर्चे लहराये गये। माननीय अध्यक्ष ने प्रतिपक्ष से कार्यवाही चलाने में सहयोग की अपेक्षा की। प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा निरंतर नारेबाजी जारी रही।

3.पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री चंद्रशेखर साहू, श्रम मंत्री ने असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 (क्रमांक 33 सन् 2008) की धारा 15 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ-10-20/2010/16, दिनांक 12 अगस्त 2010 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा नियम, 2010,

(2) श्री राजेश मूणत, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 85 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ-7-28/2010/32, दिनांक 30 अक्टूबर, 2010,

पटल पर रखे।

4. जुलाई-अगस्त, 2010 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों के संकलन का पटल पर रखा जाना

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार जुलाई-अगस्त, 2010 के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन पटल पर रखा गया।

5. नियम 267-क के अधीन जुलाई-अगस्त, 2010 सत्र में सदन में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार नियम 267-क के अधीन जुलाई-अगस्त, 2010 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा गया।

6. कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

माननीय अध्यक्ष महोदय ने कार्यमंत्रणा समिति की बैठक सोमवार, दिनांक 6 दिसम्बर, 2010 की निम्नांकित सिफारिशों से सदन को अवगत कराया :-

वित्तीय कार्य	निर्धारित समय
वर्ष 2010-2011 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान की मांगों पर चर्चा, मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुर:स्थापन, विचार एवं पारण.	03 घंटे

	विधि विषयक कार्य	निर्धारित समय
(1)	छत्तीसगढ़ आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2010	15 मिनट
(2)	छत्तीसगढ़ जिला योजना समिति (संशोधन) विधेयक, 2010	15 मिनट
(3)	छत्तीसगढ़ साहूकारी (संशोधन) विधेयक, 2010	15 मिनट
(4)	छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2010	1 घंटा

श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि सदन कार्य मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को स्वीकृति देता है ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

7. महामहिम राष्ट्रपति/राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि तृतीय विधान सभा के जनवरी-मार्च, 2010 सत्र में पारित 16 विधेयकों में से शेष बचे 01 विधेयक पर महामहिम राष्ट्रपति महोदय की तथा जुलाई-अगसत, 2010 सत्र में पारित सभी 8 विधेयकों पर महामहिम राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो गई है। अनुमति प्राप्त विधेयकों का विवरण सचिव, विधान सभा सदन के पटल पर रखेंगे।

सचिव, विधान सभा द्वारा तृतीय विधान सभा के जनवरी-मार्च, 2010 सत्र में पारित 16 विधेयकों में से शेष बचे 01 विधेयक पर महामहिम राष्ट्रपति महोदय की तथा जुलाई-अगस्त, 2010 सत्र में पारित सभी 8 विधेयकों पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो गई है, का विवरण सदन के पटल पर रखा गया।

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि अनुमति प्राप्त विधेयकों के नाम दर्शाने वाला विवरण पत्रक भाग-दो के माध्यम से माननीय सदस्यों को पृथक से वितरित किया जा रहा है।

8.सभापति तालिका की घोषणा

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के लिए नाम-निर्दिष्ट किया गया :-

(1) श्री बद्रीधर दीवान

(2) श्री धर्मजीत सिंह

(3) डॉ.शक्राजीत नायक

(4) डॉ.हरिदास भारद्वाज

(5) श्री देवजी पटेल

9. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि- निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-37, जैजैपुर के सदस्य महंत रामसुंदर दास द्वारा दिसम्बर, 2010 सत्र में दिनांक 6/12/2010 से दिनांक 10/12/2010 तक सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा चाही गई है।

(सदन द्वारा अनुज्ञा प्रदान की गई।)

10. मंत्री का वक्तव्य

श्री कोमल जंघेल, संसदीय सचिव ने दिनांक 16 मार्च, 2010 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित अतारांकित प्रश्न संख्या 16 (क्रमांक 1764) के उत्तर के संशोधन के संबंध में वक्तव्य दिया।

11. सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति में रिक्त हुए एक स्थान की पूर्ति हेतु सदस्य का निर्वाचन

श्री कोमल जंघेल, संसदीय सचिव ने प्रस्ताव किया कि - वित्तीय वर्ष 2010-2011 की शेष अवधि के लिए सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति में हुए रिक्त एक स्थान की पूर्ति के लिए अपने में से एक सदस्य के निर्वाचन के लिए अग्रसर हों।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि - सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति में रिक्त हुए एक स्थान की पूर्ति हेतु सदस्य के निर्वाचन का कार्यक्रम निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है :-

1. नाम निर्देशन प्रपत्र विधान सभा सचिवालय में बुधवार, दिनांक 08 दिसम्बर, 2010 को अपराह्न 2.00 बजे तक दिये जा सकते हैं ।
2. नाम निर्देशन प्रपत्रों की संवीक्षा बुधवार, दिनांक 08 दिसम्बर, 2010 को सायं 4.30 बजे से विधान सभा भवन स्थित समिति कक्ष क्रमांक-1 में होगी ।
3. उम्मीदवारी से नाम वापस लेने की सूचना गुरुवार, दिनांक 09 दिसम्बर, 2010 को अपराह्न 1.30 बजे तक विधान सभा सचिवालय में दी जा सकती है ।
4. निर्वाचन, यदि आवश्यक हुआ तो, मतदान शुक्रवार, दिनांक 10 दिसम्बर, 2010 को प्रातः 11.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक विधान सभा भवन स्थित समिति कक्ष क्रमांक-2 में होगा ।

   निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाएगा ।
   उपर्युक्त, निर्वाचनों में अभ्यार्थी के नाम प्रस्तावित करने के प्रपत्र एवं नाम वापस लेने की सूचना देने के प्रपत्र विधान सभा सचिवालय स्थित सूचना कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं।

12. वर्ष 2010-2011 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने राज्यपाल महोदय के निर्देशानुसार वर्ष 2010-2011 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन किया ।

माननीय अध्यक्ष ने इस अनुपूरक अनुदान की मांगों पर चर्चा और मतदान के लिए दिनांक 08 दिसम्बर, 2010 की तिथि निर्धारित की ।

13. शासकीय विधि विषयक कार्य

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि उन्होंने निम्नलिखित विधेयकों को उनकी महत्ता एवं उपादेयता को दृष्टिगत रखते हुए आज ही पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की है :-

(1) छत्तीसगढ़ आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 25 सन् 2010)

(2) छत्तीसगढ़ जिला योजना समिति (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 26 सन् 2010)

(3) छत्तीसगढ़ साहूकारी (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 27 सन् 2010)

(4) छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 28 सन् 2010)

(1) छत्तीसगढ़ आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 25 सन् 2010)

श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने छत्तीसगढ़ आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 25 सन् 2010) पुर:स्थापित किया।

(2) छत्तीसगढ़ जिला योजना समिति (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 26 सन् 2010)

श्री कोमल जंघेल, संसदीय सचिव ने छत्तीसगढ़ जिला योजना समिति (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 26 सन् 2010) पुर:स्थापित किया।

(3) छत्तीसगढ़ साहूकारी (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 27 सन् 2010)

श्री अमर अग्रवाल, राजस्व मंत्री ने छत्तीसगढ़ साहूकारी (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 27 सन् 2010) पुर:स्थापित किया।

(4) छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 28 सन् 2010)

श्री चंद्रशेखर साहू, कृषि मंत्री ने छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 28 सन् 2010) पुर:स्थापित किया।

प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा निरंतर नारेबाजी की गई। माननीय अध्यक्ष ने प्रतिपक्ष के सदस्यों से आग्रह किया कि प्राप्त स्थगन सूचना पर चर्चा प्रारंभ करें। इस विषय में मंत्री जी अगर कुछ कहना चाहते हैं तो वे अपनी बात रखें।

14. वक्तव्य

प्रदेश की कानून व्यवस्था पर श्री ननकीराम कंवर, गृह मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया गया।

प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा निरंतर नारेबाजी की गई एवं पर्चे लहराए गए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल एवं बहुजन समाज पार्टी के सदस्य नारेबाजी करते हुए गर्भगृह में आए।

15. गर्भगृह में प्रवेश पर स्वमेव निलंबन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि-विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250 (1) के अधीन निम्नलिखित सदस्य स्वमेव निलंबित हो गये हैं :-

सर्वश्री रविन्द्र चौबे(नेता प्रतिपक्ष), रामपुकार सिंह, डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम, रामदेव राम, टी.एस.सिंहदेव, अमरजीत भगत, ह्दयराम राठिया, डॉ.शक्राजीत नायक, श्रीमती पद्मा घनश्याम मनहर, सर्वश्री नंदकुमार पटेल, बोधराम कंवर, रामदयाल उइके, डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी, श्री धर्मजीत सिंह, श्रीमती सरोजा मनहरण राठौर, डॉ.हरिदास भारद्वाज, सर्वश्री देवेन्द्र बहादुर सिंह, परेश बागबाहरा, अग्नि चंद्राकर, डॉ.शिवकुमार डहरिया, राजकमल सिंघानिया, चैतराम साहू, कुलदीप सिंह जुनेजा, गुरु रूद्रकुमार, अमितेश शुक्ल, श्रीमती अंबिका मरकाम, सर्वश्री लेखराम साहू, गुरुमुख सिंह होरा, श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर, सर्वश्री ताम्रध्वज साहू, मोहम्मद अकबर, भोलाराम साहू, शिवराज सिंह उसारे, लखमा कवासी, सौरभ सिंह एवं दूजराम बौद्ध।

माननीय अध्यक्ष ने निलंबित सदस्यों को सभा से बाहर जाने के निर्देश दिए।

16. निलंबन अवधि का निर्धारण

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि - विधान सभा नियमावली के नियम 250 (1) के अंतर्गत गर्भगृह में आने पर स्वयं निलंबित हुए सदस्यों के निलंबन की अवधि आज की कार्यवाही समाप्त होने तक के लिए निर्धारित की गई है।

अपराह्न 12.30 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनाँक 8 दिसम्बर, 2010 (अग्रहायण 17, शक संवत् 1932) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा